न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना , आर ए एस**

वाद संख्या :– **32 / 2020**

उनवान

1 सावित्री देवी पत्नि जगदीश प्रसाद गुप्ता जाति महाजन निवासी श्याम कॉलोनी वार्ड नं0 15 शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीया

बनाम

1 अर्जुन पुत्र रूपा
2 ऊंकार पुत्र भगवाना
3 गंगा देवी पत्नि रूपा
4 गोदी देवी पत्नि भगवाना
5 गोपी पुत्र भगवाना
6 चन्दा पुत्र भैरू
7 छोटू पुत्र भगवाना
8 जगदीश पुत्र सेड
9 नाथूराम पुत्र मुरली
10. बल्लाराम पुत्र भगवाना
11 भागीरथ पुत्र रूपा
12 रूघनाथ पुत्र भैरू
13 रामधन पुत्र भगवाना
14 लाडा देवी पत्नी सेडूराम
15 शिम्भू पुत्र भगवाना
16 शिवराम पुत्र मुरली
17 सुन्दर पुत्र भगवाना
18 सुवालाल पुत्र सेडूराम
19 श्रवण पत्नि स्व0 सीताराम
20 पप्पू पुत्र सीताराम
21 लालाराम उर्फ लाला पुत्र सीताराम
22 रतन पुत्र सीताराम
23 झमकी देवी पत्नी स्वं0 बोदू
24 हरफूल पुत्र बोदम
समस्त जाति जाट निवासी चुंगी नाका नं0 3 ढाणी हरदासवाली नीमकाथाना रोड बुनकर मौहल्ले के सामने शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
25 संतोष देवी पुत्र स्वं0 बोदू पत्नि कानाराम
26 हंसा देवी पुत्र स्वं0 बोदू पत्नि हरिनारायण
जाति जाट निवासी ढाणी गंगासागर गांव हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
27 राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
28 उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान)

उपस्थित **श्री जितेन्द्र पलसानिया एडवोकेट वादीया**
श्री मंगलचन्द यादव एडवोकेट प्रतिवादी

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 5/4/2022

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद के निर्णयार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2003 रकबा 0.15 है0, वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें वादिया व प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त सहखातेदारी भूमि स्थत है । ख0नं0 2003 के सह खातेदार बोदू पुत्र भैरू तथा सीताराम पुत्र भगवाना फौत होने के कारण प्रतिवादी सं0 19 से 26 उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। विवादित आराजी में वादिया का हिस्सा 14 / 15 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका आज तक वैधानिक बंटवारा नही हुआ है जबकि वादिया

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

व प्रतिवादीगण बहमी बंट के आधार पर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादिया ने अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाकर अपने हिस्से की आराजी पर अपने स्वामित्व हक अधिकारों के तहत काबिज रहकर उपयोग उपभोग करती हुयी चली आ रही है। दिनांक 4.8.20 को वादिया अपने स्वामित्व की आराजी की देखभाल कर रही थी तो प्रतिवादीगण एक राय होकर वादिया की कब्जेशुदा आराजी पर जबरन घुसकर वादिया को आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा हो गये और वादिया के साथ गाली गलौच कर एलानिया धमकी दी कि उक्त विवादित आराजी हमारे नाम होने के कारण इसके विशिष्ठ भू भग का बेचान दीगर व्यक्तियों को कर तुम्हे तुम्हारे कब्जे व स्वामित्व की आराजी से जबरन लठ के जोर से बैदखल कर देगें । इसलिए कानूनी बंटवारा हेतु यह वाद पत्र पेश किया गया है। प्रतिवादीगण वादिया के स्वामित्व की भूमि में जबरन निर्माण कर विशिष्ट भू भाग को दीगर व्यक्तियों को रहन बय हस्तान्तरण कर दिया तो वादिया को अकथनीय हानि होगी , इस कारण दावा अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी का काबिज काश्त के मुताबिक रास्ता खाला वगैरह को ध्यान में रखते हुए वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

2. वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई । प्रतिवादी सं 9 व 18 उपस्थित भी आये तथा कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया प्रतिवादी सं0 12 की ओर से श्री मंगलचन्द यादव एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया । प्रतिवादी सं0 1 से 11 व 13 से 28 के विरूद्व दिनांक 21.1.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी सं0 12 की ओर से कोई जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर पत्रावली में पेश विधिवत प्रार्थना पत्रो का निस्तारण करते हुए दिनांक 9.9.21 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/ 839 दिनांक 11.3.2022 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया । प्रतिवादी सं0 12 के द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई तथा आपत्ति पेश करने हेतु अवसर दिये जाने का बार बार निवेदन किया । वकील प्रतिवादी सं0 12 के द्वारा कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा दिनांक 31.3.2022 को पुनः आपत्ति पेश करने का अवसर दिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जिस उभय पक्ष को सुना जाकर दिनांक 31.3.22 को प्रार्थना पत्र आपत्ति पेश करने का खारिज किया जाकर अन्तिम बहस हेतु प्रकरण नीयत किया गया लेकिन वकील प्रतिवादी अन्तिम बहस हेतु उपस्थित नहीं आये। वकील वादी ने अपनी बहस में जाहिर कि वकील प्रतिवादी प्रकरण में जानबूझ कर प्रकरण को देरी करने की वजह से उपस्थित नहीं आ रहे है । वकील वादी ने अन्त में निवेदन किया कि तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जावे । हमने प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर राजस्व रिकार्ड के दर्ज हिस्से के अनुसार रिपोर्ट सही होना प्रतीत होती है ।दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं कि :–

1. सावित्री देवी पत्नि जगदीश प्रसाद गुप्ता जाति महाजन सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2003 रकबा 0.14 है0, भूमि रहेगी ।
2. अर्जुन भागीरथ पि0 रूपा, गंगादेवी पत्नि रूपा हि0 1/4, ऊंकार गोपी छोटू बल्लाराम, रामधन, शिम्भू, सुन्दर, सीताराम पि0 भगवाना , गोदी पत्नि भगवाना हि0 1/8 चन्दा बोदू रूघनाथ पि0 भैरू हि0 1/8 , जगदीश सुवालाल पि0 सेडूराम लाडा पत्नि सेडूराम हि0 1/6 , नाथूराम शिवराम पि0 मुरली हि0 1/6 रूडा पुत्र रामनाथ हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2003/1 रकबा 0.01 है0, भूमि रहेगी ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांकः 5/4/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 32/2020

उनवान

1 सावित्री देवी पत्नि जगदीश प्रसाद गुन्ता जाति महाजन निवासी श्याम कॉलोनी वार्ड नं0 15 शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीया

बनाम

1 अर्जुन पुत्र रूपा
2 ऊंकार पुत्र भगवाना
3 गंगा देवी पत्नि रूपा
4 गोदी देवी पत्नि भगवाना
5 गोपी पुत्र भगवाना
6 चन्दा पुत्र भैरू
7 छोटू पुत्र भगवाना
8 जगदीश पुत्र सेड
9 नाथूराम पुत्र मुरली
10. बल्लाराम पुत्र भगवाना
11 भागीरथ पुत्र रूपा
12 रूघनाथ पुत्र भैरू
13 रामधन पुत्र भगवाना
14 लाडा देवी पत्नी सेडूराम
15 शिम्भू पुत्र भगवाना
16 शिवराम पुत्र मुरली
17 सुन्दर पुत्र भगवाना
18 सुवालाल पुत्र सेडूराम
19 श्रवण पत्नि स्व0 सीताराम
20 पप्पू पुत्र सीताराम
21 लालाराम उर्फ लाला पुत्र सीताराम
22 रतन पुत्र सीताराम
23 झमकी देवी पत्नी स्वं0 बोदू
24 हरफूल पुत्र बोदम
समस्त जाति जाट निवासी चुंगी नाका नं0 3 ढाणी हरदासवाली नीमकाथाना रोड बुनकर मौहल्ले के सामने शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
25 संतोष देवी पुत्र स्वं0 बोदू पत्नि कानाराम
26 हंसा देवी पुत्र स्वं0 बोदू पत्नि हरिनारायण
जाति जाट निवासी ढाणी गंगासागर गांव हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
27 राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
28 उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित **श्री जितेन्द्र पलसानिया एडवोकेट वादीया**
श्री मंगलचन्द यादव एडवोकेट प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी (जयपुर) राजस्थान

* **वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955**

आदेश दिनांक 5/4/2022

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं कि :–

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

1 सावित्री देवी पत्नि जगदीश प्रसाद गुप्ता जाति महाजन सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2003 रकबा 0.14 है0, भूमि रहेगी ।

2 अर्जुन भागीरथ पि0 रूपा, गंगादेवी पत्नि रूपा हि0 1/4, ऊंकार गोपी छोटू बल्लाराम, रामधन, शिम्भू, सुन्दर, सीताराम पि0 भगवाना , गोदी पत्नि भगवाना हि0 1/8 चन्दा बोदू रूघनाथ पि0 भैरू हि0 1/8 , जगदीश सुवालाल पि0 सेडूराम लाडा पत्नि सेडूराम हि0 1/6 , नाथूराम शिवराम पि0 मुरली हि0 1/6 रूडा पुत्र रामनाथ हि0 1/6 जाति जाट   सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2003/1 रकबा 0.01 है0, भूमि रहेगी ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 5/4/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	